


जिला निबंधक का कार्यालय, मधेपुरा।

आदेश संख्या - 13...../2016

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या - V/ जे० एस० 508/2015-677, पटना, दिनांक - 04.02.2016 द्वारा श्री पंकज कुमार बसाक, अवर निबंधक, उदाकिशुनगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। अतः मैं अधोहस्ताक्षरी मो० सोहैल, भा०प्र०से०, समाहर्ता-सह-जिला निबंधक, मधेपुरा निबंधन अधिनियम 16, 1908 की धारा 12 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया जाता है कि श्री रवि शंकर शर्मा, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, मधेपुरा अगले आदेश तक अवर निबंधक, उदाकिशुनगंज के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

यह आदेश पूर्णतः तत्कालिक है। पूर्ण व्यवस्था या कोई बैकलिपक व्यवस्था होने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी।


समाहर्ता-सह-जिला निबंधक,
मधेपुरा।

ज्ञापांक - 140 दिनांक - 6.2.2016

- प्रतिलिपि - 1. श्री रवि शंकर शर्मा, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि अविलम्ब अवर निबंधन कार्यालय, उदाकिशुनगंज का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
2. प्रधान लिपिक, अवर निबंधन कार्यालय, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
5. कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. सहायक निबंधन महानिरीक्षक, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


समाहर्ता-सह-जिला निबंधक,
मधेपुरा।